कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

स्थापना शाखा, मुख्य कार्यालय -- साकेत भवन, कोरबा (छ0ग0)

दुरभाष : 07759-221288, फेक्स : 07759-221929, पो.बाक्स नं. 12 पिंन कोड - 495677

Website : www.korbamunicipal.in, **Email** : corporationkorba@gmail.com

फा.क./शिक्षा/स्था./1/2017-18/ कोरबा दिनांक ....

आदेश

नगरीय प्रशासन एवं विकास, महानदी भवन नया रायपुर द्वारा व्यापम के माध्यम से चयनित वरिष्ठता क्रम में व्याख्याताओं की नियुक्ति हेतु प्रमाण पत्रों के छानबीन में उपस्थित पाये गये अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 2013 में प्रावधानित नियमों (संशोधन सहित) के अधीन छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा 13 एवं धारा 4 की उप धारा (2) के खण्ड (दो) द्वारा संशोधनों सहित सीधी भर्ती अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा के पत्र क्र./1007/जि.शि./स्था /2017-18 कोरबा दिनांक 13.12.2017 के द्वारा उपलब्ध सीधी भर्ती के रिक्त स्वीकृत **व्याख्याता** के पद पर वेतनमान रु. 5300-150-8300 में निम्नानुसार नियुक्ति प्रदान करते हुए, उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित विद्यालय में पदस्थापना की जाती है :-

क्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	वर्ग	पदांकित शाला	विकासखण्ड
1	श्री हितेश कुमार	श्री बुद्धेश्वर प्रसाद	व्याख्याता जीवविज्ञान	अना.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टी.डबलू.डी.कोरबा	कोरबा
2	श्री बुधवार सिंह	श्री समार सिंह	व्याख्याता जीवविज्ञान	अ.ज.जा.	शासकीय हाई स्कूल मड़वाढोड़ा	कटघोरा
3	श्री नोहर लाल चन्द्रवंशी	श्री लालाराम चन्द्रवंशी	व्याख्याता जीवविज्ञान	अ.पि.व.	शासकीय हाई स्कूल सीतामणी कोरबा	कोरबा
4	कु. ईश्वरी	श्री सुभाष	व्याख्याता वाणिज्य	अना.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या साडा कोरबा	कोरबा
5	श्री भूषण सिंह पटेल	श्री मनोहर लाल पटेल	व्याख्याता वाणिज्य	अना.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक बालको	कोरबा
6	प्रेणिता मिंज	श्री पंक्रासियुस मिंज	व्याख्याता वाणिज्य	अ.ज.जा.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या बालको	कोरबा
7	कु. अल्का मिंज	श्री सिबरयुस मिंज	व्याख्याता वाणिज्य	अ.ज.जा.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घुडदेवा	कटघोरा
8	श्री सुनील चतुरेश	श्री गौरीनाथ चतुरेश	व्याख्याता वाणिज्य	अ.जा.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या बालको	कोरबा
9	श्री राजेश कुमार राठौर	श्री बजरंग प्रसाद राठौर	व्याख्याता वाणिज्य	अ.पि.व.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घुडदेवा	कटघोरा
10	श्री अजय कुमार यादव	श्री मोहन लाल यादव	व्याख्याता गणित	अना.	शासकीय हाई स्कूल पोड़ीबहार	कोरबा
11	कु. पूर्णिमा राज	श्री रमैया लाल राज	व्याख्याता गणित	अ.ज.जा.	शासकीय हाई स्कूल कोहड़िया	कोरबा
12	श्री रविलाल राठिया	श्री रामजी लाल राठिया	व्याख्याता गणित	अ.पि.व.	शासकीय हाई स्कूल बल्गीखार	कटघोरा
13	श्री भागवत प्रसाद पटेल	श्री मनीराम पटेल	व्याख्याता भौतिक	अना.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगनीपाली	कटघोरा

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि नियुक्त **व्याख्याता** के प्रमाण पत्र असत्य/त्रुटिपूर्ण/फर्जी पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पृथक से आदेश जारी नहीं किया जावेगा।

2. नियुक्त **व्याख्याता** को 02 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा **व्याख्याता** के कार्य का आंकलन किया जावेगा। दो वर्ष के पश्चात् **व्याख्याता** को उनके कार्य, आचरण के आधार पर **व्याख्याता** का नियमितीकरण किया जा सकेगा। यदि **व्याख्याता** का कार्य समाधानप्रद नहीं पाया जाता है तो उसे 01 से 02 वर्ष के लिए परीविक्षा पर बने रहने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। इसके पश्चात पुनः बढ़ाई गई कालावधि के अंत में उनके कार्य का आंकलन किया जावेगा, यदि समाधानप्रद नहीं पाया गया तो सेवा समाप्त कर दी जावेगी। परन्तु किसी भी दशा में परिवीक्षाकाल अवधि 05 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जावेगी। **व्याख्याता** को परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम वेतन तथा उस पर स्वीकार्य महंगाई भत्ता प्रदत्त किया जावेगा।

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

स्थापना शाखा, मुख्य कार्यालय – साकेत भवन, कोरबा (छ0ग0)

दूरभाष : 07759–221288, फैक्स : 07759–221929, पो.बाक्स नं. 12 पिंन कोड – 495677

Website : www.korbamunicipal.in, **Email** : corporationkorba@gmail.com

3. **व्याख्याता** यथा स्थिति नगर पालिक निगम कोरबा के प्रशासकीय नियंत्रण में छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 1956 की धारा 58 के अधीन निर्धारित सेवा शर्तों एवं प्रचलित नियमों के अधीन रहेगें। आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा इसके लिए अनुशासनिक प्राधिकारी होंगे।
4. ऐसे **व्याख्याता** जो स्थाई सेवा में न हो, सेवाएं या तो व्याख्याता द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को या नियुक्त प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता को लिखित में 01 माह की सूचना देकर या एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जाने के दायित्वधीन होगी।
5. **व्याख्याता** के उपर वर्णित शर्तों से भिन्न सेवा की अन्य शर्ते यथा स्थिति नगर पालिक निगम कोरबा में नियुक्त अन्य कर्मचारियों पर लागू शर्तों के समान ही होगी।
6. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को संलग्न निर्धारित प्रपत्र में स्टाम पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।
7. नियुक्त किये गये **व्याख्याता** को अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों एवं उनकी सत्यापित छायाप्रतियां निगम कार्यालय में अनिवार्य रुप से कार्यभार ग्रहण करते समय जमा करना होगा।
    1. हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी/स्नातक/स्नात्कोत्तर की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि अंकित हो।
    2. शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र।
    3. प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र।
    4. सत्यापित जाति एवं निवास संबंधी प्रमाण पत्र।
    5. जिला मेडिकल बोर्ड कोरबा द्वारा दिया गया भैषजिक प्रमाण पत्र की मूल प्रति ।
    6. आचरण एवं व्यक्तित्व के संबंध में दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. संबंधित व्याख्याता को दिनांक 17.01.2018 तक अनिवार्य रूप से नियुक्त संस्था में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में आपकी नियुक्ति स्वमेंव निरस्त मानी जावेगी।
9. नियुक्त **व्याख्याता** को छ.ग. शासन एवं छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा छ.ग. शिक्षक (नगरीय निकाय) सवंर्ग (भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम 2013 के शर्तों का पालन बंधनकारी होगा।
10. इनकी चाल चलन के संबंध में पुलिस विभाग से जांच कराई जावेगी एवं जांच रिपोर्ट विपरित आने पर इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
11. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 6 (दो) अंतर्गत " कोई भी नगरीय निकाय सेवक, अपनी सेवा या किसी अन्य नगरीय निकाय सेवक की सेवा से संबंधित किसी मामले के संबंध में न तो किसी तरह की हड़ताल का सहारा लेगा और न ही किसी प्रकार से उसे अभिप्रेत करेगा।"
12. उक्त उल्लेखित निबंधनों एवं शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

आयुक्त 5.1.18
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

81

पृष्ठा.क्र./शिक्षा/स्था./एक/2017–18/ 24442 – 24443 कोरबा दिनांक 04/01/2018

प्रतिलिपि :–

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम कोरबा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय नया रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

शिक्षा (इ)

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

स्थापना शाखा, मुख्य कार्यालय – साकेत भवन, कोरबा (छ0ग0)

दूरभाष : 07759–221288, फैक्स : 07759–221929, पो.बाक्स नं. 12 पिन कोड – 495677

Website : www.korbamunicipal.in, **Email** : corporationkorba@gmail.com

3. सचिव, आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास छ.ग. शासन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, आदिम जाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्या कल्याण विभाग छ.ग. शासन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, चतुर्थ तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
6. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
7. कलेक्टर जिला कार्यालय कोरबा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
8. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास क्षेत्रीय कार्यालय व्यापार विहार बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. जन संपर्क सहायक, नगर पालिक निगम कोरबा की ओर प्रकाशनार्थ प्रेषित।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चिकित्सालय, जिला–कोरबा (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला–कोरबा (छ.ग.) को सूचनार्थ।
12. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, कोरबा/कटघोरा की ओर सूचनार्थ एवं संबंधितों को कार्यभार ग्रहण कराने की जानकारी से कार्यालय को 07 दिवस के भीतर जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे।
13. प्राचार्य, ... विकास खण्ड–कोरबा/कटघोरा की ओर सूचनार्थ आप संबंधित के कार्य भार ग्रहण की सूचना एवं उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के अवलोकन किये जाने संबंधी जानकारी इस कार्यालय में जमा करें।
14. संबंधित श्री/श्रीमती/कु. .... पिता/पति .... पता ....को पालनार्थ।

संबंधित व्याख्याता को कार्यभार ग्रहण करते समय शारीरिक योग्यता संबंधी जिला चिकित्सालय जिला–कोरबा (छ.ग.) द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, 01 नग सेवा पुस्तिका (कोरी) व अन्य प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि निश्चित रूप से जमा करना होगा। आप अपने नियुक्ति किये गये संस्था में **दिनांक 17.01.2018 तक** कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि के पश्चात् कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में आपकी नियुक्ति स्वमेंव निरस्त मानी जावेगी।

आयुक्त 5.1.18
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)